मदनमोहन मालवीय व उसकी सामाजिक विचारधारा

राकेश कुमार सुपुत्र तारीफ सिंह*

गाँव व डा. कौन्त, तहसील एवं जिला भिवानी–127309, हरियाणा, भारत

Email ID: rakeshkumarkaunt22@gmail.com

Accepted: 03.06.2022 **Published**: 01.07.2022

मुख्य शब्दः हिन्दू महासभा, सामाजिक कुप्रथाएँ।

शोध आलेख सार

भारत समाज अनेक देवी–देवताओं में विश्वास करता है। देश में कन्याओं की हत्या, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा, वेश्यावृत्ति, विवाह–विच्छेद, छुआछूत जैसी कुप्रथाएँ समाज को खोए जा रही थी। समाज सुधार का कार्य मध्यम वर्ग के उस शिक्षित वर्ण ने उठाया जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से आधुनिक यूरोप के समाज सुधार विचारों को ग्रहण किया, क्योंकि उनके अन्दर हीन भावना आ चुकी थी। इस शिक्षित समाज में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रानाडे और मदनमोहन मालवीय का नाम मुख्य रूप से आता है। इन महान पुरुषों ने अनेक प्रकार के समाज–सुधार संगठनों की ओर समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया मदन मोहन मालवीय जैसे ही सामाजिक और राजनीतिक अखाड़े में आये तो समाज में एक नई स्फूर्ति और एक नई ज्योति फैल गई।

पहचान निशान

**Corresponding Author*

प्रस्तावना

भारत एक लम्बे समय से विदेशी सत्ता के द्वारा शोषित होता रहा और संसार के जिन देशों में वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति हो रही थी, उस ज्ञान से वंचित रहा। देश के भूतकाल की प्रतिष्ठा को भारतीय समाज पूर्ण रूप से भूल चुका था। ब्रिटिश व्यापार तथा उसके व्यापारिक उद्देश्य ने हमारे देश के घरेलू उद्योग–धन्धों को पूर्णतया कुचल दिया था और साथ–साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था को एक ऐसी ठेस पहुँचाई थी, जिससे हमारे सामाजिक मूल्यों का पतन हो चुका था और अंग्रेज अपने स्वार्थवश होकर भारत में साम्प्रदायिकता का बीजारोपण कर रहा था।

एक लम्बे समय से भारतीय समाज की ऐसी, विचारधारा बनी हुई थी कि लड़कियों का विवाह 5 और 10 वर्ष की आय के बीच कर दिया जाता था। उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता था। बाल–विवाह जैसी कुप्रथा का जन्म इस कारण हुआ कि लड़की के पिता को यह डर बना रहता था कि कहीं उसकी भोली–भाली लड़की की इज्जत पर कोई गलत नजर ना डाले। एक अन्य कारण यह भी था कि बचपन में यदि लड़की का विवाह हो जाये तो वह सरलता से अपने नये परिवार से परिचित हो जायेगी। इन कारणों से प्रभावित होकर माँ–बाप अपनी लड़की का विवाह अल्प आयु में कर देते थे। मालवीय जी बाल–विवाह जैसी कुप्रथा के कट्टर विरोधी थे। वे बाल–विवाह को हिन्दू जाति के ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण समझते थे और उस कुरीति को दूर करना नितांत आवश्यक समझते थे।

सन् 1923 में उन्होंने हिन्दू महासभा के अधिवेशन में कहा–''आठ–दस वर्ष की कन्याओं का विवाह करने से तो रजोदर्शन के बाद ही विवाह करना श्रेष्ठ है और यदि इसके लिए नरक भी जाना पड़े तो नरक में जाना अच्छा है, पर बाल–विवाह करना अच्छा नहीं।'' मालवीय जी का कथन था कि लड़की का 12 तथा लड़के का 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कभी मत करो और यदि कन्या का सोलह वर्ष की आयु में विवाह कर सको तो अति उत्तम है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 25 वर्ष के विवाह को सबसे उत्तम मानता हूँ 20 वर्ष के विवाह को मध्यम समझता हूँ, पर 18 वर्ष से पहले तो किसी बालक का विवाह होना ही नहीं चाहिए। लड़कियों के विवाह के संबंध में उन्होंने कहा–7 वर्ष से ऊपर और रजोदर्शन के बाद लड़कियों का विवाह करना चाहिए। पंडितों ने बतला दिया है कि गुणवान वर न मिलने पर 15 वर्ष तक की अवस्था तक कन्या बैठी रही तो भी दोष नहीं। कट्टर सनातन धर्मी होने के कारण उन्होंने अपने विचार देते समय यह भी कहा–मेरी राय है कि पुरुष तब तक गौना न करे जब तक कि उसकी पत्नी 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले। मेरी यह सहमति है कि स्त्री 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर ही शादी करनी चाहिए। इसके लिए मालवीय जी ने मनुस्मृति का उदाहरण भी प्रस्तुत किया उन्होंने कहा–''मनुस्मृति का नियम हे कि 25 वर्ष तक लोगों को विद्याध्ययन करना चाहिए। लोग इस मनुस्मृति को मानते तो भारत की ऐसी दशा न होती पर लोगों ने मनमानी करके बल–वीर्य को नष्ट कर दिया है। मालवीय जी बाल विवाह को अतिशीघ्र समाप्त करना चाहते थे तथा उसकी रोकथाम के लिए एक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा बाल–विवाह को बढ़ावा देने पर जो व्यक्ति उस बाल विवाह में भाग लेगा जिसमें लड़की की आयु 11 वर्ष या लड़के की आयु 16 वर्ष नहीं होगी, उसका 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का दण्ड मिलेगा।

भारतीय समाज भी इस रोकथाम में बहुत ढीला पड़ता जा रहा था तथा यह कुप्रथा दिन पर दिन उम्र होती जा रही थी। मालवीय जी ने कहा ''हमारे मनुष्य भूतकाल में लिखे शास्त्रों का अध्ययन करें ताकि वे समझ सके कि आज भी हम पुराने तरीके अपना रहे हैं। जो आज भी पूर्ण रुपेण हानिकारक नहीं हैं। अतः भारतीय विधानसभा में बाल–विवाह पर बोलते हुए मालवीय जी ने यह भी कहा– ''बाल विवाह सभी कुप्रथाओं में अधिक दुखदाय है।

बाल विवाह के कारण ही विधवा विवाह की समस्या समाज के सामने उत्पन्न हुई। क्योंकि कन्याएँ अपने यौवन को प्राप्त करने से पूर्ण ही विधवा हो जाती थी। विधवाओं का जीवन जितना कष्टमय रहता था उसका वर्णन करना सरल नहीं। वो समाज में कलंकनी के रूप में घोषित की जाती थी। विधवाओं को जीवन के प्रत्येक सुख से वंचित रहकर दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विधवा को अपना जीवन बड़ा नीरस लगता था। वो न तो कहीं जा सकती थी, न कहीं किसी शुभ अवसर में शामिल हो सकती थी। ये इनके लिए सहना बड़ा कठिन था। वे अपना सम्पूर्ण जीवन सफेद चादर पहनकर गुजार देती थी। मालवीय जी को इनकी दयनीय दशा पर बहुत दुःख हुआ। वे विधवा विवाह को बहुत बुरा मानते थे।

उन्होंने विधवा–विवाह के विषय में अपने विचार अभ्युदय पत्र में इस प्रकार व्यक्त किये कि हमारे समाज में अनेक कारणों से यह संख्या इतनी अधिक है कि इतनी न कभी किसी समाज में हुई और न होने वाली है। यह हमारे लिए अत्यन्त दुःख का विषय है और सब प्रकार से अमंगल है। जिस समाज में बेटियों की इतनी अधिक संख्या बालपन से बुढ़ापे तक अथाह दुःख में जीवन किताबें वह समाज सुखी और सम्पन्न नहीं हो सकता। मालवीय जी स्त्रियों के सर्वांगीण विकास के पक्ष में थे वे यह भी चाहते थे कि विधवाओं की रक्षा तथा उनके सम्मान और भरण–पोषण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये। मालवीय जी विधवाओं की दयनीय दशा पर बहुत चिन्तित रहते थे।

नव दम्पत्ति की जीवन नौका रखने हेतु दहेज प्रथा का जन्म हुआ। साथ ही साथ समाज में मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने की भावना ने इसे अग्रसर किया। प्राचीन भारतीय समाज में दहेज नाम की कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी। इतना अवश्य था कि विवाह के अवसर पर कन्या के माता–पिता सामर्थ्यानुसार अधिक से अधिक जीवन प्रयोग की सामग्री कन्या की सुख सुविधा के लिए स्त्री धन के रूप में दिया करते थे। परन्तु समय के साथ–साथ यह प्रथा कुप्रथा का रूप धारण करती चली गई और इसी ने भारतीय नारी के सामाजिक स्तर का नैतिक पतन किया। नारी के सामने दहेज की समस्या सबसे अधिक भयानक थी अधिक व्यय वाले विाह ने दुल्हन के माँ बाप

को कुचल दिया। विवाह की तैयारी में अधिक समय और धन नष्ट होता था। मूल्यवान कपड़े आभूषण और कीमती खाने ने माँ–बाप की कमर तोड़ दी। आये दिन लड़की के माता–पिता कम दहेज के कारण लड़की का परित्याग कर देते थे। यहाँ तक कि इस कुप्रथा के कारण कलह होती और लड़की अपनी आत्महत्या तक कर लेती थी। अतः मालवीय जी ने इस कुप्रथा की काफी निन्दा की। उन्होंने कहा ''विवाह धार्मिक संस्कार है, इसका समय से होना अत्यन्त आवश्यक है। कन्याओं के विवाह में विलम्ब होने से माता–पिता को प्रायश्चित लगता है और समाज का बल घटता है। इसलिए समाज की रक्षा और उन्नति के लिए आवश्यक है कि कन्याओं का विवाह समय से हो जाना चाहिए।

यह कुप्रथा प्राचीनकाल से समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। यह एक व्यवहारिक एवं स्वाभाविक अथवा समय–समय पर स्त्री पुरुष के मध्य लिंग संबंध, धन प्रलोभन के कारण होती है। यह लिंग संबंध प्रेमी–प्रेमिका अथवा पति पत्नी के मध्य नहीं होता बल्कि धन प्रलोभन के कारण होता है। इसे रोकने के लिए समय–समय पर संवैधानिक और असंवैधानिक कदम उठाए गए। परन्तु यह कुप्रथा किसी–न–किसी रूप में समाज के मध्य निरन्तर अपना अस्तित्व बनाए रही। 18 सितम्बर, 1912 में पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने भी दादा भाई पटेल के भाषण का समर्थन करते हुए कहा–'' मैं उनके विचारों से सहमत हूँ, वेश्यावृत्ति पर जो सरकारी बिल आया है वह अपने आप में पूर्ण रूप से उचित है। उन्होंने आगे कहा कि– छोटी लड़कियों का व्यापार रुकना चाहिए, छोटी लड़कियों की वेश्यावृत्ति रुकनी चाहिए। पत्नियों के शरीर बेचने का रास्ता रुकना चाहिए। वे चाहते थे कि जल्दी ही समाज से ये कलंक घुल जाये और देश की कोई भी कन्या इस पाप मार्ग न चले। अतः मालवीय जी ने इसे रोकने में सक्रिय योगदान दिया।

मालवीय जी विवाह विच्छेद के घोर विरोधी थे, उनका ऐसा विचार था कि हिन्दू–समाज में विवाह–विच्छेद के अभाव में भी मानव स्वयं अपने वैवाहिक नियमों के अन्तर्गत सुखी जीवनयापन कर रहा है। सामान्य रूप से वे ऐसे क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तनों के विरोधी थे, जिनका संबंध हिन्दू विवाह तथा उत्तराधिकार के नियमों से होता था। उदाहरण के लिए उन्होंने बी.ए. वसु के विशेष विवाह विधेयक का विरोध किया था। इसके कारण समाज पर दुष्परिणाम होंगे। मालवीय जी का ऐसा भी मत था कि अन्धविश्वास जिसका सदैव समाज पर घातक प्रभाव होता है इसका विरोध अवश्य किया जाना चाहिए। वह एक ऐसे चिकित्सक के रूप में कार्य करना चाहते थे जो मानव शरीर से गन्दे माँस को तो अलग करना चाहता है, परन्तु उस मांस को छूना नहीं चाहता जो स्वस्थ है। वो शास्त्रों की प्राचीन सामाजिक संस्था को भी समाप्त

करना नहीं चाहते थे और न ही आँख बंद करके किसी क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्वीकार ही करने के पक्ष में थे।

हिन्दू समाज के सामने अस्पृश्यता की समस्या अपना घोर रूप धारण कर रही थी तथा इनका उत्थान करना प्रत्येक धर्म का कर्तव्य समझा जाने लगा था। इसका समाधान किसी भी तरह करना कठिन था क्योंकि ये प्राचीन समाज की जाति के रूप में अपना योगदान निभा रही थी। मालवीय जी ने – ''हर एक मनुष्य को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने को जिस सामाजिक नाम से चाहे पुकारे इसमें किसी का सांझा नहीं। यदि कोई समाज उसका विरोध कर सकता है तो केवल वह समाज जिसके नाम से वह अपने को पुकारता है। यदि कोई चमार अपने को हिन्दू कहता है तो केवल हिन्दू उसके हिन्दू कहे जाने पर विरोध कर सकते हैं न कि मुसलमान या इसाई। हिन्दुओं ने आज तक यह नहीं कहा कि अन्तपज जाति वाले हिन्दू नहीं हैं। अछूतों को सामाजिक क्रिया–कलापों से दूर रखा जाता था। अगर कोई अछूत आदमी को देख लेता तो उसका सारा दिन बड़ा खराब जाता था। इस प्रकार की प्रथा भारत में अनादि काल से चली आ रही थी।

मालवीय जी ने अछूतों के बारे में कहा–अछूत भी भाई हैं इनकी संख्या 6 करोड़ से 7 करोड़ है। 32 करोड़ में से 6 तरफ भाई एक तरफ खड़े रहें तो जिस तरह वह रस्सी मजबूत नहीं समझी जाती जिसके तिनके निकले हों उसी तरह हमारी ताकत भी पूरी न होगी। अगर यह छः करोड़ भाई हमारे साथ हों तो तभी यह रस्सी पूरी बने। तभी हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्यवाही कर सकते हैं। भोजन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो अपने घर भी चौंका लगा कर खाता हूँ। मगर मैं किसी चमार भाई को दुःख से देखूं और हाथ देकर न उठाऊँ और घाव पर मरहम पट्टी न करूँग तो मैं ब्राह्मण नहीं। एक विभीषण के बिगड़ने से सोने की लंका ढह गई तो जहाँ 6 करोड़ भाई बिगड़ेंगे तो उस देश का क्या होगा। आज एक गिरे अछूत को हम उठाकर खड़ा करते हैं तो हमारा धर्म नहीं घटेगा बल्कि बढ़ेगा।

भारत में साम्प्रदायिक समस्या को अंग्रेजों ने अंकुरित किया ताकि भारत में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन की तीव्र गति अवरुद्ध किया जा सके। इसी कारण से उन्होंने सन् 1905 में बंगाल का विभाजन किया। राजकीय सेवाओं में मुसलमानों को वरियता दी गई और मुसलमानों की पृथक् चुनाव की मांग को स्वीकार करके साम्प्रदायिक समस्या को जन्म दिया मुसलमानों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने आपको संगठित किया और सन् 1906 में आया खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन सब बातों ने हिन्दुओं के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने जनवरी 1907 में हिन्दू सभा का

गठन किया, जिसका उद्देश्य हिन्दुओं को संगठित करना और उनके कल्याण तथा हितों की रक्षा करना था। इस संदर्भ में सन् 1911 को इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अखिल भारतीय हिन्दू महासभा को गठित करने का निश्चय किया। मालवीय जी ने अपने समाचार पत्र 'अभ्युदय' में अनेकों लेख प्रकाशित किये, जिनमें सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति की कटु आलोचना की गई। इस नीति के आधार पर वस्तुतः सरकारी सेवाओं और अनेक प्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं में हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों को अधिक स्थान दिये जा रहे थे। मालवीय जी ने इस नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा सरकार और मुस्लिम दोनों हिन्दुओं की राजनीतिक चेतना के विरुद्ध काम कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सुधार की कटु आलोचना करते हुए उन हिन्दू नेताओं की भी आलोचना की जो यह सोचते थे कि कांग्रेस हिन्दुओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। उनका कथन था कि कांग्रेस हिन्दुओं को कोई हानि नहीं पहुंचा रही, बल्कि उसने हिन्दुओं में देशभक्ति की भावना को फूंका है। हिन्दू महासभा का उद्देश्य हिन्दू और अन्य जातियों को शक्तिशाली बनाना था। इस संदर्भ में मालवीय जी ने कहा इसकी स्थापना से अन्य जातियों को कोई हानि नहीं होगी मेरा विश्वास है कि हिन्दू संगठन से हिन्दू मुस्लिम एकता में सहायता मिलेगी जो स्वतन्त्रता प्राप्ति में उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षित लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह संस्था देश की उन्नति में बाधक हे। मेरा विश्वास है कि उनका अविश्वास शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

मालवीय जी के नेतृत्व में हिन्दू महसभा का संविधान तैयार किया गया। और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे–

1. समस्त हिन्दू जाति में एक शरीर के अंगों की भाँति एकता और दृढ़ता लाना।

2. भारतीय हिन्दू और अन्य जातियों में अच्छी भावना का सृजन करना तथा उसमें मित्रता की भावना से कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना ताकि देश में स्वराज्य की स्थापना की जा सके।

3. हिन्दू जाति का उद्धार करना। इसमें छोटी जातियाँ भी सम्मिलित हें।

4. जब कभी और जहाँ कहीं आवश्यक हो तो हिन्दुओं के हितों की रक्षा करना।

5. समस्त हिन्दू जाति के धाम्रिक, चरित्रात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना।

महासभा किसी हिन्दी जाति के वर्ग विशेष को मान्यता अथवा उसके आन्तरिक झगड़ों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। महासभा उन सभी हिन्दुओं को जो किसी लालच में धर्म परिवर्तन कर गये हैं वापिस लाने का प्रयास करेगी और उनके

लिए विशेष धार्मिक शिक्षा का भी प्रबन्ध करेगी। मालवीय जी ने अपने लम्बे अनुभव के आधार पर योजना बनाई–प्रत्येक ग्राम में महासभा की शाखा खोली जाये और वे चाहते थे कि प्रत्येक ग्राम के हिन्दुओं की मासिक बैठक हो ताकि हिन्दू संस्कृति की रक्षा की जा सके। इस प्रकार मालवीय जी ने हिन्दू जाति को संगठित किया। उन्होंने 'महावीर दल' और 'अखाड़ा' जैसे संगठनों का गठन किया। ताकि जो हिन्दू भारत में इधर–उधर और विदेश में बिखरे हुए पड़े है। वे एकता के सूत्र में बंध जायें। मालवीय जी ने समस्त हिन्दू जाति को चाहे वह सनातनी हो अथवा आर्यसमाजी हो, ब्राह्मण हो अथवा अब्राह्मण हो, इनमें अछूत भी है को एकत्रित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मालवीय जी निर्धन परिवार में पैदा हुए और अपने अथक् परिश्रम के बल पर प्रसिद्ध शिक्षक, वकील और पत्रकार बनकर सहस्त्रों रुपये कमाने लगे, लेकिन जब हृदय से मातृभूमि की सेवा की पुकार उठी तो उन्होंने सब कुछ त्यागकर पुनः निर्धनता स्वीकार कर ली तथा आजीवन देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वह किसी भी कीमत पर देश को साम्प्रदायिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा जातीय आधार पर विभक्त होते नहीं देखना चाहते थे। यदि किसी ने फूट पैदा करने की चेष्टा की तो मालवीय जी ने उसका पुरजोर विरोध किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि मालवीय जी की सामाजिक विचारधारा बड़ी ही उच्चकोटि की थी और वास्तव में समाज को जो मालवीय जी से चाहिए था उसमें उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया।

संदर्भ सूची :

1. सीताराम चतुर्वेदी (1980), महामना पंडित मदन मोहन मालवीय काशी, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वितीय संस्करण, नई दिल्ली
2. पदमकांत मालवीय (1962), मालवीय जी की जीवन झलकियां, नैशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली
3. माधुरी पत्रिका, 1924, पृ. 841
4. आज पेपर, 12 अप्रैल, 1924
5. लेजिस्लेटिव डिपार्टमैंट फाईल नं. 72, 1926 ए.सी.
6. लेजिस्लेटिव एसैम्बली प्रोसीडिंग्स, वोल्यूम–4, 5 सितम्बर, 1929, पृ. 369
7. इण्डियन क्वाटरली रजिस्टर, जिल्द–2, 1929, पृ. 132
8. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिल, 1912, पृ. 90, वोल्यूम–50
9. प्रोसिडिंग्स ऑफ दी इम्पीरियल कौंसिल, फरवरी 26, 1912, वोल्यूम–50, पृ. 129–31, 170–75

10. लेजिस्टलेस्टिव एसैम्बली डिबेट्स, सितम्बर, 5, 1929, खंड–4, पृ. 368
11. मर्यादा, नवम्बर 1910, पृ. 83
12. आज (पेपर), 10 अप्रैल 1922
13. एस.आर. अवस्थी, लार्ड मिन्टो और इंडियन नैशनल मूवमैंट, पृ. 180 और मालवीय जी ने यूपी सरकार के मुख्य सचिव को एक टेलीग्राम भेजा, 23 जनवरी, 1909
14. दा मराठा, 4 जनवरी, 1924 और एमआर जयकर, दी स्टोरी ऑफ भाई लाईफ, भाग–1, पृ. 713–714
15. आज, 11 मई 1925, पृ. 187